112

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेष ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 2445 – दो/2013 – विरुद्ध आदेश दिनांक 16–05–2013 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 44/2011–12 अपील

1– भैयालाल पुत्र राममनोहर स्वीपर
2– श्रीमती झल्ली पत्नि स्व. राममनोहर स्वीपर
दोनों ग्राम कोतरकलॉ तहसील गोपदबनास जिला सीधी ---अपीलांट्स

विरुद्ध

1–म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर सीधी
2– गंगाप्रसाद 3– अयोध्या प्रसाद
4– सीताशरण 5– कृष्णकुमार
6– श्यामलाल सभी पुत्रगण रामलक्ष्मण वानी
निवासी कोतरकलॉ तहसील गोपदबनास जिला सीधी ----रिस्पाण्डेन्टस

(अपीलांट्स के अभिभाषक श्री अरबिन्द पाण्डे)
(रिस्पा.क्र. 2 से 7 के अभिभाषक श्री अमरेश अग्निहोत्री)

आ दे श

(आज दिनांक 18–07–2017 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 44/ 2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 16–5–2013 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि उभय पक्ष के बीच भूमि विवाद उत्पन्न होने पर प्रकरण राजस्व मण्डल तक निगरानी प्रकरण कमांक 2135–तीन/2006 पर पंजीबद्ध होकर आदेश दिनांक 4–4–08 से निराकृत होकर कलेक्टर सीधी को निर्देशों के

साथ प्रत्यावर्तित हुआ, जिस पर से कलेक्टर सीधी ने प्रकरण कमांक 49/अ–74/ 2010–11 पँजीबद्ध किया तथा हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई की।

पक्षकारों के बीच विवाद का विषय है कि आवेदकगण ने कलेक्टर सीधी के समक्ष आवेदन देकर बताया कि वर्ष 1959 में आराजी कमांक 437 रकबा 1.00 तथा 438 रकबा 1.08 का पटटा बनवाकर उनके पिता काविज रहे, पिता के वाद वह काविज है। हाल ही में सीमा चिन्ह बनवाने हेतु आराजी कमांक 736 व 737 पुराना नंबर 437 व 438 का सीमांकन कराया जो गलत ढंग से कर दिया गया। खसरे अनुसार पटटे की आराजी कमांक 736 पर मकान बना है जिसे 737 बताया जा रहा है जहां पर एक पेड़ आम, एक कुआ बना है व गेहूँ की फसल होती है जिसे शासकीय बताया जाकर शासकीय भूमि सर्वे कमांक 736 बताकर परिमाप की गई है जो गलत है। इस प्रकार नक्शे में गलत नंबर लिख दिया गया है जिसे सुधार किया जाय। यदि नक्शा सुधार संभव नहीं है जब मौजूदा आराजी कमांक 736 को शासकीय करते हुये आ.क. 748 शासकीय जिस पर काविज बताया गया है विनिमय में दे दी जावे।

प्रकरण राजस्व मण्डल से वापिस प्राप्त होने पर कार्यवाही करते हुये कलेक्टर सीधी ने जांच एंव सुनवाई हेतु 10 वाद बिन्दु निर्धारित किये तथा पक्षकारों को साक्ष्य एंव सुनवाई का अवसर देकर आदेश दिनांक 26 सितम्बर 2011 पारित किया तथा आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत मांग आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध अपीलांट्स ने प्रथम अपील अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 44/ 2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 16–5–2013 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर अपीलांट्स के अभिभाषक के तर्क सुने। रिस्पा. कमांक 2 से 6 के अभिभाषक ने लोरवी बहस प्रस्तुत की। लोरवी बहस के साथ उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ अपीलांट्स के अभिभाषक का तर्क है कि महिला झल्ली के स्वर्गीय पति को सन 1937 के पूर्व से आराजी कमांक 437, 438 व 425 को खरीदकर उसमें 1937 में मकान बनाया गया है । अराजी क्रमांक 425 का नया नंबर 708 बना है। विवाद केवल आराजी कमांक 437 नया नंबर 736 व 438 का नया नंबर 737 का है। दोनों आरजियां हिरन नाला के पश्चिम की ओर है जिनमें आराजी कमांक 737 में मकान है एंव 736 में कुआ व एक पेड़ आम का है। भूमिस्वामी राममनोहर स्वीपर की मृत्यु के वाद अपीलांट्स मौके पर काविज है । जब 2004 में अपीलांट्स ने भूमि का सीमांकन कराया तब पता चला कि 437 का नया नंबर 736 व 438 का नया नंबर 737 है जिसमें सर्वे कमांक 736 की स्थिति सीमांकित भूमि से हटकर बताई गई है एंव कब्जे की भूमि का नंबर 748 बता गया है जो मौके की स्थिति के विपरीत जाकर है किन्तु कलेक्टर एंव अपर आयुक्त ने मौके की स्थिति के अनुसार सही निर्णय नहीं लिये लिये है जिसके कारण उनके आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की जाय।

रिस्पा. क्र. 2 से 6 के अभिभाषक ने लेखी बहस में बताया है कि पुराने खसरा कमांक 437 नया 736 का जुज भाग राममनोहर ने अपने जीवनकाल में रिस्तेदारों को बसाने के लिये दे दिया है व शेष भाग तथा पुराना भूमि खसरा कमांक 438/2 नया 737 मोजा कोतरकला के अंश भाग पर मकान बनाकर व शेष अंश भाग पर कास्त करते आये हैं। पुराना भूमि खसरा कमांक 737 व 438/2 से निर्मित किये गये नये नंबर कमांक 736 व 737 का जो नक्शा बनाया गया है वह पूर्ववत् उसी स्थान पर बनाये गये है जहां पर पुराने नंबर के नक्शे रहे है जिसका मिलान हुआ है एंव सीमांकन भी उसी अनुसार हुआ है। इसलिये कलेक्टर व्दारा संपूर्ण जांच करके आदेश पारित किया गया है जो सही है इसीलिये अपर आयुक्त ने कलेक्टर के आदेश में दखलन्दाजी नहीं की है। उन्होंने अपील निरस्त करने की मांग रखी है।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि जाँच एंव सुनवाई के दौरान कलेक्टर सीधी ने हितबद्ध पक्षकारों की मौखिक साक्ष अंकित की है तथा स्थल के संबंध में मौजा कोतरकला के रियासत रीवा के संवत 1981 से 1992 तक के अभिलेख की जांच की है एंव अधिकार अभिलेख अनुसार स्पष्ट किया है कि आराजी कमांक 737 रकबा 1.00 एकड़ से नया नंबर 736 रकबा 1.00 एकड़ एंव 438/2 रकबा 1.08 एकड़ से 737 रकबा 1.00 एकड़ निर्मित हुआ है। आराजी कमांक 848 नया 737 पर मकान है परन्तु आराजी कमांक 437 रकबा 1.00 एकड़ नवीन 736 पर कुआ निर्मित होना सावित नहीं हुआ है। इस प्रकार कलेक्टर सीधी व्दारा पूर्ण छानवीन उपरांत एंव पक्षकारों को लेखी/मौखिक साक्ष्य का अवसर देकर सुनवाई की है एंव आदेश दिनांक 26–9–11 में निष्कर्ष निकालते हुये अपीलांट्स का मांग आवेदन निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 44/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 16–5–2013 में कलेक्टर सीधी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा आदेशों में विस्तृत विवेचना कर निकाले गये निष्कर्ष समरुप हैं जिसके कारण इस अपील में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 44/ 2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 16–5–2013 उचित होने से यथावत रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर